



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 181-2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 7, 2022 (ASVINA 15, 1944 SAKA)

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 07 अक्टूबर, 2022

15 अश्विन, 1944 (शक)

### अधिसूचना

सं० 100/भा०नि०आ०/क्षे०/हरि०-वि०स०/3/2022/उ०अनु०-II- यतः, हरियाणा राज्य विधानसभा में, 47- आदमपुर विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित श्री कुलदीप बिश्नोई का स्थान उनके त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप 03 अगस्त, 2022 को रिक्त हो गया है: और

2 यतः, इस प्रकार उत्पन्न रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3 अतः, अब, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) तथा धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा:-

(अ) हरियाणा राज्य में 47- आदमपुर विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 08 नवम्बर, 2022 (मंगलवार) से पूर्व और उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार हरियाणा राज्य विधानसभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति को निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में-

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	14 अक्टूबर, 2022 (शुक्रवार)
(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	15 अक्टूबर, 2022 (शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	17 अक्टूबर, 2022 (सोमवार)
(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा; और	3 नवंबर, 2022 (गुरुवार)
(ङ.) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	08 नवम्बर, 2022 (मंगलवार)

नियत करता है; और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

एन. टी. भूटिया

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**  
**Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001**

**Dated: 07<sup>th</sup> October, 2022**  
**15 Asvina, 1944 (Saka)**

**NOTIFICATION**

**No. 100/ECI/TERR/HAR-LA/3/2022/NS-II:—** WHEREAS, the seat of Shri Kuldeep Bishnoi in the Legislative Assembly of the State of Haryana, elected from 47-Adampur Assembly Constituency, has become vacant on 3<sup>rd</sup> August, 2022 by reason of his resignation; **and**

**2. WHEREAS,** a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

**3. NOW THEREFORE,** in pursuance of sub-section (1) of section 150, and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:-

(A) **Calls upon** the said 47-Adampur Assembly Constituency in the State of Haryana, to elect, before 08<sup>th</sup> November, 2022 (Tuesday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the state;

(B) **Appoints,** with respect to the said election :-

(a) the 14<sup>th</sup> October, 2022 (Friday), as the last date for making nominations;

(b) the 15<sup>th</sup> October, 2022 (Saturday), as the date for scrutiny of nominations;

(c) the 17<sup>th</sup> October, 2022 (Monday), as the last date of withdrawal of candidatures;

(d) the 3<sup>rd</sup> November, 2022 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary be taken; and

(e) the 8<sup>th</sup> November, 2022 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed; **and**

(C) Fixes the hours from **7.00 A.M to 6.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

N. T. BHUTIA  
SECRETARY  
ELECTION COMMISSION OF INDIA